an>

Title: Regarding problems being faced by displaced persons in Singrauli district in Sidhi Parliamentary Constituency.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब हम किसी व्यक्ति से पूछें कि उसके जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं तो बड़े ही सहज ढंग से वह कहता है कि बच्चों को पढ़ा लिखाकर तैयार कर दूँ, बेटी की शादी कर दूँ और अपने सिर पर दो कमरों का आशियाना तैयार कर दूँ।

अध्यक्ष महोदया, ज़मीन और घर का आकलन हम सिर्फ इनके आर्थिक मूल्यांकन से नहीं कर सकते। ज़मीन से संबंधित व्यक्ति का एक बहुत अलग ढंग का जुड़ाव होता है और घर, जिसमें बरसों तक वह रहता है, स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मीयता होती है। जब किसी व्यक्ति का घर उजड़ता है, उसकी वह ज़मीन जो उसे पूर्वजों से थाती के रूप में प्राप्त होती है, वह चली जाती है या किन्हीं कारणों से देनी पड़ती है तो उसकी आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ मन यह मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसका सर्वथा भावनात्मक लगाव भी उससे होता है।

महोदया, मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारी सीधी सिंगरौली क्षेत्र की जो धरती है, वह वास्तविक मायने में वसुन्धरा रत्नगर्भा है। हमारा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, किन्तु मेरे सीधी संसदीय क्षेत्र का बड़ा भूभाग, जो सिंगरौली के रूप में अवस्थित है, वहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। कोयले के कारण ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कई बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्थापित बड़े उद्योग व फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं। विगत दस वर्षों में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इन उद्योगपतियों को रोज़गार प्रदान करने की दृष्टि से खुला अवसर प्रदान किया। परिणाम यह हुआ कि हमारे क्षेत्र में कई तरह के रोज़गार स्थापित हुए और पॉवर प्लांट व कोयला उत्खनन कंपनियाँ हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं।

महोदया, इस बात में कोई संदेह नहीं कि इन कंपनियों के आने से आज हमारा सिंगरौली जिला एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र न केवल देश के मानचित्र पर, अपितु विश्व के मानचित्र पर उल्लिखित है। किन्तु मैं इस बात को बड़े ही भारी मन से यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि इन दो वर्षों के दौरान सिंगरौली में क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन विस्थापितों व उन परिजनों से जब मैं मिलने गई तो मुझे यह समझ में आया कि बरसों पहले उस कंपनी की स्थापना के लिए लोगों ने पूर्वजों की उस थाती, उस ज़मीन को, आस्था के उस केन्द्र को लिया, लोगों ने उनके भावनात्मक लगाव को रखने वाली मातृभूमि के टुकड़े को लिया, उद्योगों को दिया, किन्तु संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने उन ज़मीनदाताओं के साथ उस संवेदनशीलता के साथ बर्ताव नहीं किया जिसकी अपेक्षा उन ज़मीनदाताओं को थी। अध्यक्ष महोदया, अब आप ही बताएँ कि उनकी जीती जागती ज़मीन भी गई, उनका आशियाना भी गया, जलती धूप में दोपहर कैसे बीते, पड़ती ठंड में ओस से निजात कैसे मिले और वह दुधमुँहे बच्चे और परिवार के सदस्यों के भरणपोषण की व्यवस्था कैसे करे। अतः मैं आपसे ही निवेदन करती हूँ और माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करती हूँ कि संबंधित उद्योगों को सख्ती से निर्देश जारी करें कि पात्र विस्थापितों को नौकरी व मुआवज़ा विधिवत् ढंग से प्रदान करें, अनुबंध में किए गए वादों के मुताबिक विस्थापितों को सुविधा मुहैया कराएँ और साथ ही साथ विस्थापितों की समस्याओं को चिह्नित कर निराकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे और कलैक्टर की उपस्थिति में प्रत्येक उद्योग के ज़िम्मेदार अधिकारियों की समन्वित बैठक आयोजित की जाए जिससे विस्थापितों की समस्याओं की समीक्षा की जा सके और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रामचरण बोहरा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।